न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 16/2019 जिला–अलवर।

1. सुरजा पुत्र मूलचन्द
2. लालाराम पुत्र हरदयाल
3. रामसिंह पुत्र झूथा
4. फकीर पुत्र रूडिया
5. रोहताश पुत्र गोरधन

समस्त जाति गुर्जर निवासी खैराल तहसील कोटकासिम जिला अलवरफ।

अपीलान्टस्

बनाम

1. राजाराम पुत्र जयनारायण जाति गुर्जर निवासी खैराल तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर दिनांक 25.06.2018 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री प्रहलाद चौधरी।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या श्री विजय कुमार शर्मा।

निर्णय

दिनांक 22.02.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के निर्णय दिनांक 25.06.2018 के खिलाफ धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजाराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत कराये जाने पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनकी भूमि आराजी भूमि खसरा नं. 6 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नं. 8 रकबा 1.29 हैक्टेयर ग्राम खैराल, तहसील कोटकासिम जिला अलवर में स्थित है। पडौसी खातेदारान द्वारा उनकी खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से डोल को मिसमार आये रोज करते रहते है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.09.2017 को तहसीलदार कोटकासिम के आदेश कमांक 1077 दिनांक 4.5.2017 की अनुपालना में उक्त भूमि की पैमाईश कर निशान देही की गई थी जिसको अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 5.10.2017 को मिटाते हुये प्राथी की आराजी पर जबरन कब्जा करने तथा कब्जा काश्त प्रार्थी में बाध पेदा करने की धमकी दी गई। अतः मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 21.09.2017 व बाद सीमाज्ञान लगाये गये निशानात के अनुसार पत्थरगढी कराई जाने की आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा आदेश दिनांक 25.6.2018 पारित किया कि "प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाकर तहसीलदार कोटकासिम को आदेश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 4.5.2017 के मुताबिक पत्थरगढी कराई जावे ।"
4. न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर कतई

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

गौर नही किया कि जो सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी आदेश जारी किया गया है। उस पर अप्रार्थीगण के किसीदभी प्रकार के कोई हस्ताक्षर नही है। किसी भी खातेदार द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराया जाता है तो पडोसी काश्तकारो को सीमाज्ञान हेतु सूचना आवश्यक रूप से दी जाती है परन्तु इस संबंध में पत्रावली पर सीमाज्ञान सभी पडौसी काश्तकारो के सामने हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया ना ही अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि खातेदारो द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नही किया गया, ना ही उनकी समुचित तामील ही करीवाई गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा केवल मात्र अपीलांट को हैरान परेशान करने के लिये उक्त सीमाज्ञान व पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 निरस्त किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि आराजी भूमि खसरा नं 6 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नं. 8 रकबा 1.29 हैक्टेयर ग्राम खैराल, तहसील कोटकासिम जिला अलवर के खातेदार है और अपने खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के विधिक अधिकारी हैं। अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 04.05.2017 के मुताबिक कराई जाने हेतु तहसीलदार कोटकासिम को आदेश प्रदान किये हैं। उनका कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पाडेंट की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाई जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

8. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते हैं। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी तहसीलदार कोटकासिम के आदेश कमांक 1077 दिनांक 4.5.2017 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.09.2017 किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक कराई जाने हेतु तहसीलदार कोटकासिम को आदेश प्रदान किया है।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 02.04.2018 को पत्रावली विपक्षीगण की तलबी में थी तथा आगामी पेशी दिनांक 18.04.2018 नियत की गई है। पत्रावली में अप्रार्थीगण वर्तमान अपीलांट्स को कोई नोटिस जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 25.06.2018 को कैम्प कोर्ट में ली जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकतरफा तथा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

Scanned by CamScanner

अवसर प्रदान किये बगैर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की सुनवाई उपरान्त न्यायोचित आदेश पारित किया जाये।

11. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner